

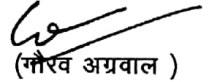
कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर

—:: कार्यालय-आदेश ::—

इस कार्यालय के द्वारा राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर से चयनोपरान्त प्राध्यापक (स्कूल शिक्षा) हिन्दी, वेतन पे मैट्रिक्स लेवल-12 के पद पर राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ-15(1) एफ.डी./नियम/2017 दिनांक 09.12.17 द्वारा राजस्थान सिविल सेवा (पुनरीक्षित वेतनमान) नियम 2017 के प्रावधानान्तर्गत 02 वर्ष के परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी के रूप में नियत स्थिर मानदेय पर/विद्यमान वेतनमान में नियुक्त किये गये। संबंधित प्राध्यापक को कार्यग्रहण करने की दिनांक से 02 वर्ष परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी की अवधि संतोषप्रद रूप में पूर्ण किये जाने पर राजस्थान सेवा नियम 1951 के नियम 24 एवं राजस्थान सिविल सेवाएं (पुनरीक्षित वेतनमान) नियम 2017 के नियम 05 (vi & vii) एवं अनुसूची 1 में अंकित प्रावधानानुसार उनके नाम के सामने कॉलम सं. 09 में अंकित दिनांक से नियमित वेतन श्रृंखला पे मैट्रिक्स लेवल-12 एवं देय नियमानुसार अन्य भत्ते आहरण करने की व नियमित करने की व नियमित वेतन श्रृंखला प्राप्त करने की स्वीकृति एतद् द्वारा प्रदान की जाती है एवं साथ ही उक्त तिथि (कॉलम संख्या 09 में अंकित) से इनका प्राध्यापक (स्कूल शिक्षा) के पद पर स्थाईकरण किया जाता है।

क्रस	चयन वर्ग	मेरिट क्रमांक	प्राध्यापक नाम	पदस्थापन स्थान (राउमावि/राबाउमावि)	जिला	जन्मतिथि	कार्यग्रहण तिथि	नियमित वेतन श्रृंखला प्राप्त करने की तिथि
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	OBCM	1980	BANT KUMAR	GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL 9 PSD A (212101) (GHARASANA GANGANAGAR)	GANGANAGAR	02/12/1986	27/08/2018 AFTAR NOON	28/08/2021

श्री बन्त कुमार को इस कार्यालय के आदेश क्रमांक शिविरा/मा/वि.जांच/11266-एम-210/2010/450-451 दिनांक 21.02.2022 के द्वारा एक वार्षिक वेतन वृद्धि असंचयी प्रभाव से रोके जाने के दण्ड से दण्डित किये जाने के कारण इनका नियमित वेतन श्रृंखला दिनांक 28.08.2021 से स्वीकृत किया जाता है।


(गौरव अग्रवाल)

आई.ए.एस.

निदेशक

माध्यमिक शिक्षा राजस्थान

बीकानेर

क्रमांक:-शिविरा/माध्य/संस्था/सी-7/हिन्दी/पीएससी-15/स्थाईकरण/पार्ट-3/2021/188

दिनांक:- 09/05/2022

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर।
2. उप शासन सचिव, शिक्षा (ग्रुप-2) विभाग राजस्थान सरकार जयपुर
3. संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा, संबंधित संभाग।
4. संबंधित मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी।
5. संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय), माध्यमिक/ संबंधित मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी।
6. संबंधित प्रधानाचार्य/कार्मिक।
7. अनुभाग अधिकारी वरिष्ठता/एसीआर/एबी/ओएसी प्रभाग।
8. सिस्टम एनेलैसिसट कम्प्युटर अनुभाग को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने बाबत।
9. निजी एवं रक्षित पत्रावली


संयुक्त निदेशक (कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर